न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 97/2024 FSSA

1. सरकार जरिये महेश कुमार सैनी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री कैलाश चन्द्र कुम्हार मैसर्स –सुरेश किराना स्टोर पता– मीणा दरवाजा भाण्डारेज, दौसा, जिला दौसा।

– अभियुक्त–

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति : श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

दिनांकः–03.02.2026

–::आदेश::–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि 29.04.2024 को दोपहर 11.30 बजे मैसर्स सुरेश किराना स्टोर पता–मीणा दरवाजा भाण्डारेज, दौसा, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री कैलाश चन्द्र कुम्हार उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में साफ सुथरी रैक में लगभग 500 मिलीलीटर ग 2 पेकेट खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड (GHEE SARAS BRAND) रखा हुआ था में मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु 800 ग्राम घी सरस ब्राण्ड (GHEE SARAS BRAND) खरीदे। जिनकी कीमत 420 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खरीदशुदा 800 ग्राम घी सरस ब्राण्ड (GHEE SARAS BRAND) को हिला–मिलाकर मैश कर 4 साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक बोतलों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोत्तल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक एजी 4253 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबार कर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये चारो नमूना भागो को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नंबर एजी 4253 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये की पेपर स्लीप व रैपर पेपर दोनो पर आवे चारो नमूना भागो पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म न. 5 ए की दो प्रतिया तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. को देकर उसकी रसीद फार्म न. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी (स्वयं) मुख्यालय द्वारा दिनांक 30.04.2024 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.04.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.04.2024 को डी.ओ. व. सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की । उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड (ळभ्म्म् ै।त्ै ठत्।छक्) के नमूने की खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीयजन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1564/एक्ट/2024/1701 दिनांक 06.05.2024 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड (GHEE SARAS BRAND) का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) and It also Contravenes Regulation No.2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011due to presence of foreign fat. का पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड (GHEE SARAS BRAND) खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के अनुसार अमानक स्तर (Sub&standard) and It also Contravenes Regulation No.2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011due to presence of foreign fat. पाये जाने पर प्रकरण से संबंधित समस्त कागजात श्रीमान डीओ व सी.एम.एच.ओ. दौसा को न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने की स्वीकृति हेतु पेश किये। जिन्होने समस्त कागजात पर गौर फरमाकर अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णयन आवेदन संस्थित किये जाने की स्वीकृति प्रदान है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड (GHEE SARAS BRAND) के नमूने की खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1564/एक्ट/2024/1701 दिनांक 06.05.2024 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड (GHEE SARAS BRAND) का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) and It also Contravenes Regulation No.2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011due to presence of foreign fat. का पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) के नमूने की जांच में Butyro Refractometer reading 51.4 आयी है। जो निर्धारित मानकों के अनुसार 40.0 से 44.0 तक होनी चाहिए थी। Reicher value 1.95 आयी है। जो कम से कम 24.0 होनी चाहिए थी। Baudouin test positive आया है। जो नेगेटिव होना चाहिये था। Test of Foreign fat Present पायी गई है। जो कि Absent होनी चाहिये थी। इस कारण से उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अतः धारा 51 एवं 54 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी की मिट्टी के बर्तन की छोटी दुकान है। जिस पर प्रार्थी द्वारा दो पैकिट 500 मिलीलीटर खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड (GHEE SARAS BRAND) बेचने हेतु रखा हुआ था। जिसमें से 800 ग्राम घी सरस ब्राण्ड जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदा गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दुकानों पर बेचने हेतु आने वाले विक्रेता से खरीदा गया था। प्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ का अमानक स्तर के होने की जानकारी नही थी। प्रार्थी छोटा दुकानदार है। प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1564/एक्ट/2024/1701 दिनांक 06.05.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। उक्त नमूना निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए धारा 26 की उप धारा (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एवं 54 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ घी सरस ब्राण्ड़ (Ghee Saras Brand) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री कैलाश चन्द्र कुम्हार मैसर्स –सुरेश किराना स्टोर पता–मीणा दरवाजा भाण्डारेज, जिला दौसा(राज0) पर 10,000/–रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 03.02.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः– 03 .02.2026

क्रमांकः/FSSA/ 26/ 18-20

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
02. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
03. श्री सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र श्री कैलाश चन्द्र कुम्हार मैसर्स –सुरेश किराना स्टोर पता– मीणा दरवाजा भाण्डारेज, दौसा, जिला दौसा

3/2/2026

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner